रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 353] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 19, 1973/आश्विन 27, 1895
No. 353] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 1973/ASVINA 27, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October 1973

S.O. 552(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Sixth Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958,—

(i) for entry (27), the following entry shall be substituted, namely:—

"(27) in the case of orders and other instruments relating to the President's Secretariat, by the Secretary to the President, Military Secretary to the President, Joint Secretary to the President, Deputy Secretary to the President or Under Secretary President's Secretariat; or";

(ii) entries (28) and 29) shall be omitted;

(iii) entries (30) to (35) shall be re-numbered as entries (28) to (33), respectively.

[No. F. 3/9/73-Public.I.]
K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1973

का० आ० 552(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखित) षष्ठ संशोधन नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 के नियम 2 में :—

(i) प्रविष्टि (27) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(27) राष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैनिक सचिव, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, राष्ट्रपति के उप सचिव या राष्ट्रपति के सचिवालय के अवर सचिव द्वारा ; या"

(ii) प्रविष्टि (28) और (29) का लोप कर दिया जाएगा ;

(iii) प्रविष्टि (30) से (35) क्रमशः प्रविष्टि (28) से (33) के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी ।

[सं० फ० 3/9/73-पब्लिक-1]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973